प्रकरण कमांक–241/2018 आरक्षी केंद्र डबरा विरूद्ध अज्ञात

03.11.2022 राज्य की ओर से ए डी पी ओ।

प्रकरण एफ आर पर विचार हेतु नियत है ।

फरियादी **भावना** द्वारा उसके साथ घटना के संबंध में रिपोर्ट किये जाने पर पुलिस थाना डबरा के **अपराध कमांक–187/2018 अंतर्गत धाराः–195–ए,323,341,506,34 भा0 द0 स0** पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी, विवेचना के दौरान आरोपी हर्ष गुप्ता एवं अन्य दो अज्ञात आरोपी द्वारा अपराध घटित करने के संबंध मे ंसाक्ष्य एकत्रित होने के हर संभव प्रयास किये गये आरोपीगण द्वारा घटना घ ाटित करना नहीं पाए जाने से पुलिस के द्वारा एफ आर कमांक 45/2018, दिनांक 07.09.2018 कता की जाकर न्यायालय में स्वीकृति हेतु पेश की गयी ।

एफ आर प्रतिवेदन पर फरियादी भावना के कथन अंकित किये गये। फरियादी भावना ने यह व्यक्त किया कि घटना दिनांक 06.03. 2018 की है वह घटना के समय डबरा से ग्वालियर एक्टिवा से जा रही थी, घटना सिमरिया टेकरी के पास डबरा ग्वालियर हाईवे की है तभी दो नकाबपोश लोग आए उन्होंने उसे रोका और उसे धमकी दी कि उसने हर्ष गुप्ता और उसके परिवारजन के विरूद्ध जो केस किया है वह वापस ले लो नहीं तो उसे जान से मार देंगे, उसने उनसे कहा कि उसे ग्वालियर जाना है, उसे उन्होंने मारने की कोशिश की तो उसने अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उसका फोन छीनकर तोड दिया, उसका मोबाइल सोनी कंपनी का था, वह बडी मुश्किल से वहां से भागी और जब वह भाग रही थी तब उसे धमकी दी कि केस वापिस ले लो नही तो जान से खत्म कर देंगे उसे चोट भी आई थी जब इसके बाद वह सीधे एस पी आफिस गई वहां पर उसने लिखित में आवेदन दिया था इसके बाद जांच हुई थी जांच पश्चात केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस के अनुसंधान अधिकारी व थाना प्रभारी हर्ष गुप्ता आदि से मिलकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे और एफ.आर कता कर दी है, वह पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। साक्षी का यह भी कहना है कि पुलिस ने नक्शा मौका उसके समक्ष नहीं बनाया था उस पर उसके हस्ताक्षर नही है। पुलिस के द्वारा उचित अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, पुनः अनुसंधान हेतु केस थाने पर भेजा जावे।

केस डायरी अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी भावना के द्वारा उसके साथ घटित घटना के संबंध में दिनांक 06.03. 2018 को आवेदन दिया था जिसके आधार पर हर्ष गुप्ता व दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना डबरा में **अपराध कमांक–187/2018 अंतर्गत धाराः–195–ए,323,341,506,34 भा0 द0 स0 पंजीबद्ध** हुआ है। भावना गुप्ता के द्वारा पुलिस कथन भी दिए है तब न्यायालय में उसके द्वारा कथन दिया गया है वह पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है। अतः फरियादी पुलिस अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है तब ऐसी दशा में खात्मा प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं

किया जा सकता है। अतः आरक्षी केंद्र डबरा की ओर से उसके खात्मा क्रमांक 45/2018 स्वीकार योग्य नही होने से अग्रिम अनुसंधान किए जाने हेतु मय केस डायरी वापस किया जाता है।

इस आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस की जावे। प्रपत्र अभिलेखागार प्रेषित हो ।

सही/–
संजीव कुमार पालीवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी पुलिस थाना ––

सही/–
संजीव कुमार पालीवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0